

प्रेषक,

सुरेश कुमार गुप्ता,
अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)
कोर्ट सं.1, मऊ।

सेवा में,

सम्मानित महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा:- सम्मानित जनपद न्यायाधीश,
मऊ।

विषय:- वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2019-2020 में तत्कालीन सम्मानित जनपद न्यायाधीश द्वारा किए गये मूल्यांकन को पदोन्नत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में ससम्मान निवेदन है कि तत्कालीन सम्मानित जनपद न्यायाधीश, श्री मुकेश मिश्रा द्वारा वर्ष 2019-2020 की वार्षिक प्रविष्टि में मेरे न्यायिक एवं अन्य सम्पूर्ण कार्यों का मूल्यांकन करने के उपरान्त मुझे "उत्तम" प्रविष्टि दी गयी है।

महोदय, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अवर न्यायालयों की कार्य क्षमता के मूल्यांकन के सम्बन्ध में General letter No. 16/ IV-h-14/2018 : Dated Allahabad May 31, 2018 संशोधित General letter No. 11/IV-h-14/2019 : Dated Allahabad March 05, 2019 जारी किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के वादा के निस्तारण पर भिन्न-भिन्न यूनिट का निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार प्रत्येक वर्ष में न्यायिक अधिकारी को 1200 यूनिट कार्य देना होता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रकार के वादों, प्राचीनतम वादों के निस्तारण पर, न्यायिक अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए निर्धारित यूनिट पर अतिरिक्त यूनिट दिए जाने का भी प्राविधान है।

महोदय, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अपने उपर्युक्त परिपत्र में प्रत्येक न्यायिक अधिकारी का कार्य-मानक 1200 यूनिट निर्धारित करते हुए अवकाश, छुटियों एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी दिवसों का भी कार्य मानक, प्रत्येक दिवस हेतु 3.28 यूनिट, निर्धारित किया गया है, जो कि कुछ कार्य-मानक 1200 यूनिट से घटाया जाना है, जिसके सापेक्ष इस वर्ष में कुल कार्य दिवस 366 है और निर्धारित कार्य-मानक 1200 यूनिट में से 419.84 यूनिट घटाने के उपरान्त मुझे वर्ष 2019-2020 में कुल कार्य-मानक 780.16 यूनिट देना है, जिसके सापेक्ष मेरे द्वारा कुल 1650.85 यूनिट, समस्त प्रकार के कार्य से, अर्जित किया गया है।

महोदय, यह भी ससम्मान निवेदन करना है कि मेरे द्वारा वर्ष 2019-2020 में कुल 113 वादों को गुण-दोष के आधार पर, दो वादों का साक्षियों के पक्षद्वेषी घोषित होने के आधार पर, 14 वादों को सुलह के आधार पर एवं कुल 04 निष्पादन वादों निस्तारित किया गया है। जिनमें से कुल 47 वाद पाँच वर्ष से अधिक प्राचीन एवं कुल 23 वाद दस वर्ष से अधिक प्राचीन हैं। इस प्रकार :रे द्वारा माननीय

२१/११२०

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपर्युक्त परिपत्र के सापेक्ष पूर्ण निष्ठा एवं सार्थक प्रयासों से अधिकाधिक प्राचीन वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने का सार्थक प्रयास किया गया है।

महोदय, यह भी ससम्मान निवेदन करना है कि वर्ष 2019–2020 तक मेरा स्थानान्तरण, जनपद मऊ में ही चार न्यायालयों में हुआ है, जिस कारण मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त परिपत्र में निर्धारित कार्य-मानक के सापेक्ष किया गया कुल कार्य-मानक 780.16 यूनिट के सापेक्ष 1650.85 यूनिट प्रभावित हुआ है।

महोदय, यह भी ससम्मान निवेदन करना है कि वर्ष 2019–2020 में मेरे द्वारा न्यायिक कार्य के अतिरिक्त कुल पाँच विभागीय जांच/अन्तिम जांच भी पूर्ण की गयी है और इसी वर्ष में मेरे द्वारा अतिरिक्त कार्य के रूप में प्रभारी अभिलेखागार (फोजदारी एवं सिविल), प्रभारी नोडल कम्प्यूटर विभाग एवं सम्मानित जनपद न्यायाधीश के आदेशानुसार गठित समितियों के सदस्य के रूप में भी कार्य सम्पादित किया गया है।

महोदय, यह भी ससम्मान निवेदन करना है कि तत्कालीन सम्मानित जनपद न्यायाधीश द्वारा मेरी सत्यनिष्ठा को सन्देह से परे प्रमाणित किया गया है और मुझे न्यायालय समय में "समयनिष्ठ" दर्शित किया गया है।

महोदय, यह भी ससम्मान निवेदन करना है कि वर्ष 2019–2020 में मेरे द्वारा किए गये समस्त कार्यों के उपरान्त मेरा किया गया मूल्यांकन "उत्तम" पदोन्नत होना अत्यावश्यक है।

अतः महोदय से ससम्मान निवेदन है कि मेरा प्रत्यावेदन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

ससम्मान।

भवदीय,

सुरेश कुमार गुप्ता
(सुरेश कुमार गुप्ता)

अपर सत्र न्यायाधीश /
विशेष न्यायाधीश (पांक्सो एक्ट)
न्यायालय कक्ष सं.1, मऊ।

दिनांक: 21.11.2020

Office of the District Judge - Mau
Letter No. 179/Admin - Dated 21.11.2020
Forwarded for information and
commentary action.
Mau, 21.11.2020
District Judge